दिनांक 13.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 21/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना नागल

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित गिरफ्तार**
- **01 स्विफ्ट कार**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 13.11.2024 को थाना नागल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिडकी से लाखनौर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शादाब उर्फ सोनू 2–आमिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 स्विफ्ट कार, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शादाब उर्फ सोनू थाना नागल पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नागल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शादाब उर्फ सोनू निवासी सिकन्दरपुर भैसवाल थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

2–आमिर निवासी मोहल्ला तहसील, कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–1 स्विफ्ट कार।

2–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना तमकुहीराज

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 पिकअप वाहन**
- **2700/–रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 13.11.2024 को थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लतवा चट्टी नहर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मुन्ना घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–गुड्डू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 पिकअप वाहन, 2700/–रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुन्ना निवासी मुफरी टोला थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज , बिहार।

2–गुड्डू निवासी सेमरा हरदो माफी टोला थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–01 पिकअप वाहन।

2–2700/–रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **08 नाल 12 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 13.11.2024 को थाना भोपा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नंगला बुजुर्ग नहर के पास खण्डहर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–अकरम उर्फ कग्गा 2–इसरार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर,08 नाल 12 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना भोपा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकरम उर्फ कग्गा निवासी नयागांव थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

2–इसरार निवासी नयागांव थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–20 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–08 नाल 12 बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद सीतापुर/थाना नैमिषारण्य (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना नैमिषारण्य पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/363/366 भादवि

के अन्तर्गत अभियुक्त रोजअली को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उदयचन्द्र को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 08 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त युनूस को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बृजेश को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–घूमन्तु अपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद के अभियोग में वांछित रूपया 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू की उज्जैन से गिरफ्तारी।

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को दिनांक 12–11–2024 को, थाना लोनी बॉर्डर, जनपद गाजियाबाद क्षेत्र में सर्राफा दुकान के शटर को तोड़कर की गई चोरी के मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411/399/402 भादवि में वांछित घूमन्तु आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

अभियुक्त का विवरणः–

1– खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू पुत्र रामरतन निवासी ग्राम बिलाखेडी, थाना धरनावदा, जनपद गुना, मध्य प्रदेश ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाक, समयः–

दिनाक 12–11–2024, समय लगभग 18.00 बजे, हरि फाटक चौराहा थाना नीलगंगा, उज्जैन क्षेत्र।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के निर्देशन एंव श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एसटीएफ गौतमबुद्धनगर दिनांक 12–11–2024 को मय टीम के मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रो से प्राप्त सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अपराधियों की तलाश में उज्जैन पहुॅचे तो मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411/399/402 भादवि के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू, हरिफाटक चौराहा, थाना नीलगंगा के पास आने वाला है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए थाना नीलगंगा एवं साइबर सैल, उज्जैन

पुलिस के सहयोग से अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू, उपरोक्त को दिनांक 12–11–2024 को समय लगभग 18.00 बजे उक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार ईनामी अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 25 साल है और वह कक्षा 09 पास है। बताया कि वह मूलरूप से ग्राम बिलाखेडी, गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वह पारदी जनजाति का है। हमारा आपराधिक गिरोह है, जो रात में मकानों की ग्रिल काटकर तथा दुकानो के शटर तोड़कर चोरी की वारदात करते हैं और जाग हो जाने अथवा विरोध होने पर हमला करके गृह स्वामियों को घायल भी कर देते हैं। एक स्थान पर वारदात करने के पश्चात दूसरे शहर में चले जाते हैं। अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू ने बताया कि उसके गॉव के नामे उर्फ नागेश्वर इत्यादि लोग चोरी करके पैसा कमाने का काम करते थे और इन्हीं लोगों से उसने चोरी करने का काम सीखा और अपने साथियों के साथ चोरी करने की घटनाऐं करना लगा। उल्लेखनीय है कि एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट द्वारा दिनांक 15–06–2024 को अभियुक्त नामे उर्फ नागेश्वर को गिरफ्तार कर थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के उपरोक्त अभियोग में जेल भजा गया था ।

अवगत कराना है कि माह जनवरी– 2024 में इस गिरोह के लोग दिल्ली में फ्लाई ओवर के नीचे डेरा डाले हुए थे। दिनांक 10–01–2024 को गिरोह के सभी सदस्यों ने थाना क्षेत्र लोनी बॉडर गाजियाबाद के बेहटा स्थित सन्टू, सोनू, ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोडकर दुकान में रखे जेवरात की चोरी किये थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411/399/402 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसी अभियोग में अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (अपराध/मुख्यालय), कमिश्नरेट गाजियाबाद के पत्र दिनांक 18–05–2024 के द्वारा रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस घटना के उपरान्त इस गिरोह के सभी लोग अन्य शहरों में चले गये थे। गिरफ्तार अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू, उक्त को थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411/399/402 भादवि के अभियोग में दाखिल किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 तस्कर 644 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 13–11–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 तस्कर को 644 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– हरिराम पुत्र राम किशुन नि0 मकान नं0 186 दरिया गॉव, नियर रेलवे स्टेशन, चण्डीगढ़।

बरामदगीः–

1– 644 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब।

2– 01 अदद ट्रक नं0 एच0आर0 69ए 8985

3– 04 अदद मोबाईल फोन

4– 5,090/– रूपये नगद

5– 290 बोरी मुर्गी दाना।

6– 250 गत्ता दवाई।

7– 01 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः–

दिनांक 13–11–2024 समय सुबह 07.30 बजे प्रातः स्थान– तहसील मोड, इन्दौरा बाग, थाना क्षेत्र बी0के0टी0 लखनऊ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रास्ते बिहार राज्य में अवैध शराब की तस्करी होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा एस0टी0एफ0 लखनऊ के नेतृत्व में उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 नीरज मिश्रा, विजेन्द्र राय, प्रभात कुमार, अमित यादव चालक अफजाल एसटीएफ लखनऊ की टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि जीरकपुर पंजाब से ट्रक द्वारा मुर्गी के दाना एवं दवाईयों की पेटियों के बीच अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर बिहार भेजा जा रहा है। उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस एवं अबकारी टीम को साथ लेकर तहसील मोड, इन्दौरा बाग, थाना क्षेत्र बी0के0टी0 लखनऊ के पास से उक्त ट्रक को कब्जे में लेकर तलाशी ली गयी, तो उसमें अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी हुई पायी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका एक गिरोह है, जो बिहार राज्य में शराब बन्दी होने के पश्चात दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों से भारी मात्रा मे अंग्रेजी शराब की बिहार राज्य में सप्लाई करता है। इन राज्यों से कम दामों में शराब खरीदकर बिहार में सप्लाई करने पर भारी मुनाफा होता है। भरत गोस्वामी नाम के व्यक्ति ने जीरकपुर पंजाब से यह अवैध शराब लोड कराया था, जिसे पटना में सिन्टू सिंह को देना था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज मुकदमों एवं अन्य तथ्यों के बारे में छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना बी0के0टी0 जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 343/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 61 (2), 318 (4) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———————